आंदोलन जारी

नारायणपुर । नारायणपुर उपखंड को नेशनल हाइवे 248ए से जोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष लगातार जारी है। तीसरे दिन भी हस्ताक्षर और पोस्टकार्ड अभियान जारी रहा, जिसमें अब तक 633 पोस्टकार्ड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद राव राजेंद्र सिंह को लिखे जा चुके हैं।

महाराणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से राजपूत समाज में रोष

निवाई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से राजपूत समाज मे भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। गुरूवार को राजपूत समाज के लोगों ने सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ उपखंड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन

■ **सांसद सुमन को बर्खास्त करने की मांग का राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन**

में राजपूत समाज ने सांसद सुमन की संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने व कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों ने कहा कि सांसद सुमन की टिप्पणी न केवल राजपूत समाज बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। ऐसी टिप्पणियां समाज में वैमनस्य और विद्वेष फैलती हैं। महाराणा सांगा भारत के स्वाभिमान, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक हैं। उनकी गौरवशाली गाथा राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। इस दौरान लोगों ने महाराणा सांगा जिंदाबाद और सांसद रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन के दौरान राजपूत समाज के अजय सिंह बावड़ी, विक्रमसिंह जयलालपुरा, गोविंदसिंह पलेई, दुर्गासिंह सुनारी, डॉ. तेजभंवरसिंह राठौड़, गिरधरसिंह तंवर, नटवरसिंह राठौड़, प्रेमसिंह राजावत, निखवेंद्र सिंह, दिलीपसिंह कोलाडा, मोनी बना, योगेंद्र सिंह व बद्रीसिंह राजावत सहित राजपूत समाज के सैंकड़ों लोग मौजूद रहे।

निवाई राजपूत समाज के लोगों ने एसडीएम सुरेशकुमार हरसोलिया को ज्ञापन सौंपा।

50 लाभार्थियों को पट्टे दिए

निवाई। पंचायत समिति सभागार में राजस्थान दिवस के उपलक्ष में गुरूवार को प्रधान रामअवतार लांगडी की अध्यक्षता व विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई जिसमें स्वामित्व योजनान्तर्गत 50 लाभार्थियों को पटटे वितरित किए गए। प्रधान रामअवतार लांगडी ने कहा कि सरकारी योजनाओं को अधिकाधिक लाभ लेंवे। उन्होंने कहा सरकार की जनकल्याकारी योजना का प्रत्येक पात्र को लाभ मिले। विकास अधिकारी यादव ने बताया कि बैठक में ग्राम पंचायत पलेई, खणदेवत, झिलाय व खंडवा के लाभार्थियों को पट्टे जारी किए गए। इस अवसर पर सरपंच रमेशचन्द यादव, बाबूलाल मंडालिया, देवालाल गुर्जर, सीआर रामकिशोर मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी नन्दकिशोर शर्मा, सहायक विकास अधिकारी कैलाशचन्द गुर्जर, महेन्द्र कुमार, सुरेश जांगिड, चिरंजी लाल मीणा, कमलेश लक्षकार, कनिष्ट सहायक प्रेमचन्द माली, शिव दयाल बैरवा, सागरराम सोनी, ग्राम विकास अधिकारी किशन नट, राधाकिशन बैरवा, कनिष्ट सहायक मदनलाल बैरवा व मंजू गुर्जर सहित कई कर्मचारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन

कोटपूतली। राजकीय एलबीएस पी.जी. महाविद्यालय में गुरूवार को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इसके अन्तर्गत नृत्य, गायन एवं विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. आर. के. सिंह ने द्वीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास हेतु इन गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला एवं विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु इन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए प्रेरित किया। विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता में भारती यादव प्रथम, सीमा गुर्जर द्वितीय एवं अनुष्का शर्मा तृतीय स्थान पर रही। एकल नृत्य में नितिन मीणा प्रथम, सीमा गुर्जर द्वितीय एवं जसवंत व अनुष्का शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। युगल नृत्य में भारती व साक्षी प्रथम स्थान, निकिता एवं अनुष्का शर्मा द्वितीय स्थान तथा लक्की शर्मा व मीना यादव तृतीय स्थान पर रहे। एकल गायन में मोना शर्मा, समूह गायन में निशा सैनी व मनीषा गवारिया एव समूह नृत्य में अफसाना, कविता, मुस्कान एवं पूजा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. मधु नागर एवं प्रो.पी.सी. जाट ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। निर्णायक मंडल में डॉ. अनुभा गुप्ता, प्रो. शोभा जौहरी, डॉ. प्रीति गुप्ता, डॉ. पद्मा मीणा, डॉ. हरिराम धनेटिया, चन्दन सिंघल, शीशराम मीणा आदि सदस्य उपस्थित रहे।

प्रागपुरा में हिन्दू समाज 6 को निकालेगा भगवा रैली

पावटा । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के पावन अवसर पर 6 अप्रैल 2025 रविवार को प्रागपुरा कस्बे मे हिंदू उत्सव समिति द्वारा परंपरा अनुसार विशाल भगवा रैली का आयोजन किया जायेगा। कस्बे को भगवामय , हर गली, चौराहों व सड़कों पर तोरण, झंडे व लाइटिंग से सजाया गया है।

कस्बे में जगह-जगह रैली के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। सामाजिक व धार्मिक संगठन इस रैली में शामिल होंगे। राजनीतिक दलों ने भी इस रैली में शामिल होने की योजना बनाई है। प्रागपुरा में भव्य शोभायात्रा गुंजेडा धाम से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गो से होती हुई नगर भ्रमण करती हुई सुभाष

■ **भव्य शोभायात्रा गुंजेडा धाम से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करती हुई सुभाष चौक प्रागपुरा तक लाखों भक्तों के साथ निकलेगा**

चौक प्रागपुरा तक लाखों भक्तों के साथ निकलेगी। इस दौरान 251 श्रीराम जी के निशान, बग्घी घोड़ी के साथ सहनाईया व घुमर नृत्य, नासिक डोल की प्रस्तुति, वृंदावन साधुओं के द्वारा पट्टे बाजी, सौंदर्य एवं धमाकेदार आतिशबाजी, राधा कृष्ण , शंकर पार्वती जी की विशाल झांकी, दिल्ली के कलाकारों द्वारा अघोरी नृत्य, भगवा रंग से प्रागपुरा की सजावट आकर्षण का केंद्र रहेगी। जहां सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा पेय पदार्थ और स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था की जाएगी। महाआरती के पश्चात हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रसाद वितरण का कार्य भी किया जाएगा। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही रैली का समापन होगा। भगवान श्रीराम की भव्य शोभायात्रा व भगवा रैली निकाले जाने की तैयारी को लेकर हिंदू उत्सव समिति प्रागपुरा द्वारा श्रीराम जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकाले जाने को लेकर जगह जगह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। नगर में आयोजित बैठकों में रामभक्तो ने कहा कि यह श्रीराम जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति, आस्था, उमंग और उल्लास का महापर्व है। सभी कार्यकर्ता राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा की तैयारी में लगे। प्रभु श्रीराम के सात्विक वृत्ति को आगे बढ़ाना है। रावणी वृत्ति, आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति का सम्मन करना हैं। यही यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।

दो दिवसीय सेमिनार सम्पन्न

कोटपूतली। राजकीय एलबीएस पी.जी. महाविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग के तत्वाधान में दो दिवसीय अकादमिक सेमिनार का समापन हुआ। प्राचार्य प्रो. आर. के. सिंह ने बताया कि रसायन शास्त्र उत्तरार्द्ध के विद्यार्थियों के लिये 25 से 26 मार्च को दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों ने रसायन शास्त्र के विभिन्न टॉपिक्स को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया। रसायन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. अनुभा गुप्ता ने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रो. सीमा पंत ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों में शोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। प्रो. शीशराम यादव ने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निखार में अकादमिक सेमिनार की भूमिका पर प्रकाश डाला। सेमिनार के संयोजक डॉ. हरिराम घनेटिया ने मंच संचालन व तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

'आमजन को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ'

चौमू / कालाडेरा । चौमू उपखण्ड के ब्लॉक गोविन्दगढ का जयपुर कलक्ट्रेट के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत ने औचक निरीक्षण कर जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, जन आधार योजना, आय-व्यय लेखों का वर्गीकरण, संस्था आधार, मुख्यमंत्री ई ठाम परियोजना, आर्थिक गणना, वार्षिक औधोगिक सर्वेक्षण, सतत विकास लक्ष्य आदि विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। डॉ. कुमावत ने जन आधार हेल्प डेस्क पर प्राप्त प्रकरणों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार कि मंशा के अनुरूप गाँव- ढाणी के लोगों की समस्याओ का समाधान हेल्प डेस्क के माध्यम से तुरंत किया जाए। उन्होंने सीएचसी, पीएचसी व निजी हॉस्पिटल मे होने वाले संस्थागत प्रसव के मामले मे जच्चा-बच्चा के डिस्चार्ज के साथ ही जन्म प्रणाम पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जन्म मृत्यु अधिनियम में किए गए संशोधन की ब्लॉक में पालना करवाकर आमजन को इसका लाभ दिलवाना। सहायक निदेशक डॉ. कुमावत ने बताया की राज्य सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीयन व जन आधार को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवा में शामिल कर रखा है ऐसे में इसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव व जिला कलक्टर की ओर से नियमित की जाती है। डॉ. सुदीप कुमावत ने बीएसओ विजेन्द्र सिंह चौहान को ई-मित्र प्लस मशीन का उपयोग बढाने व आमजन में जागरूकता लाने हेतु निर्देशित किया तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने हेतु साइन बोर्ड लगवाने, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन समय पर जारी करने एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्रों, आदेशों, नियमों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए जिससे आमजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मील सके।

'खाद्य सुरक्षा से सक्षम व्यक्ति खुद हटवाले नाम'

खैरथल। खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े सक्षम परिवार अगर 30 अप्रैल तक अपने नाम खुद योजना में से नहीं हटवाते है और बाद में खाद्य सरक्षा योजना का उठाते हए विभागीय जांच में पकड़े जाते हैं तो उनसे ली गई राशन सामठी का बाजार भाव से पैसा वसूल किए जाने के साथ उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है खैरथल तिजारा जिले के जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी का।

जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल सक्षम परिवारों को खुद के नाम हटवाने के लिए गिवअप अभियान चलाया है। जिसकी अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई हैं। इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने ने बताया इस अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति जैसे आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी व अद्धर्सरकारी कर्मचारी व अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते है। अभियान के तहत एक आवदेन प्रपत्र राशन डीलरों को विभाग की ओर से उपलब्ध कराया गया है। अभियान के तहत अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाया जायेगा।

भंडारे के आयोजन को लेकर सांसद ने तैयारियों का जायजा लिया

किशनगढ़ बास में पशुपालकों को शिविर लगाकर पशु संबंधित जानकारी दी।

किशनग बास। किशनगढ़ बास से करीब 5 किलोमीटर दूर तिजारा भिवाड़ी मार्ग के गांव मांचा में स्थित जीएलएम कृषि कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने सात दिवसीय एनएसएस शिविर के तहत गुरुवार को छठे दिन गांव की चौपाल पर पशुपालकों के लिए पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ठामीण पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल एवं बीमारियों की रोकथाम के प्रति जागरूक करना था। कॉलेज प्रचार्या डॉ कुमारी आशा ने बताया शिविर के दौरान कृषि महाविद्यालय के शिक्षकौं एवं विद्यार्थियों द्वारा पशुओं के नियमित टीकाकरण, पौष्टिक आहार, स्वच्छता एवं सामान्य बीमारियों के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया।

साथ ही पशुपालकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। कॉलेज विद्यार्थीयों की और से लगाए गए जागरूकता शिविर में पशुपालकों के साथ ठामीण महिलाओं एवं परुषों ने भाग लिया और कॉलेज शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा पशुओं से सबंधित दी गई जानकारी को गंभीरता से सुना व समझा और शिविर की सराहना की।

शिविर के दौरान कॉलेज के संकाय सदस्य जगजीवन यादव, सनोज कुमार, दीपक मौर्य, संदीप निगानिया, मुहम्मद आरिफ, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कन्हैया कुमार, बच्चूराम सारस्वत सहित सभी शिक्षकगण एवं स्टाफ उपस्थित रहा।

नाम परिवर्तन

मैं आर्मी नम्बर 3205527L हवलदार चतरा राम यूनिट-5 जाट बटालियन में मेरे सैन्य रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम, बिमला भांमू (Bimla Bhamu) गलती से दर्ज हो गया जबकि उसका सही नाम बिमला लोछब (Bimla Lochhab) है।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री अशोक कुमार आर्य पुत्र श्री मुन्नालाल आर्य, निवासी एफ-9, मधुवन कॉलोनी, टोंक फाटक के पास, टोंक रोड, जयपुर (राज.) पर मय परिवार निवास करते है तथा उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण सम्पति पर मेरे अभिभाष्य का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा है तथा उपरोक्त वर्णित सम्पति मेरे अभिभाष्य की माता श्रीमती सरला कुमारी आर्य के नाम से थी जिनका स्वर्गवास दिनांक 15.02.2025 को जयपुर में उपरोक्त वर्णित सम्पति में हो गया, जिनके समस्त धार्मिक क्रियाकर्म मेरे अभिभाष्य के द्वारा पूर्ण कराये गये है तथा मेरे अभिभाष्य की माता अपनी मृत्यु तक मेरे अभिभाष्य के पास ही रही जिनकी सेवा सुश्रुषा मेरे अभिभाष्य द्वारा ही की गयी तथा मेरा अभिभाष्य अपनी माता के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त वर्णित सम्पति का एकमात्र मालिक एव स्वामी है तथा काबिज है। उपरोक्त वर्णित सम्पति से अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही मेरी अभिभाष्या की माता ने उपरोक्त वर्णित सम्पति के संबंध में किसी लिखित दस्तावेज का निष्पादन किसी भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी के हक में निष्पादित किया है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण पर मेरे अभिभाष्य के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण सम्पति पर मेरे अभिभाष्य का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा है। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सम्पति का विक्रय, रहन या अन्य प्रकार का हस्तान्तरण के संबंध में कोई भी लिखित दस्तावेजात निष्पादित नहीं करें। यदि मेरे अभिभाष्य के अलावा किसी दीगर व्यक्ति से उपरोक्त वर्णित सम्पति के विक्रय, रहन या अन्य कोई हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेजात निष्पादित किये जाते हैं, तो ऐसे दस्तावेजात मेरे अभिभाष्य के अधिकारों के प्रति प्रारंभ से ही शून्य एवं प्रभावी रहेगा। सूचित रहे। 27.03.2025

(रूस्तम शेख) एडवोकेट, मो. 94142-48148

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू, जिला - जयपुर ग्रामीण (राज.)

क्रमांक/न.पा./2024-25/5762 **लोक सूचना** दिनांक: 27.03.2025

आवेदक CHAKSU FORT PRIVATE LIMITED हिस्सा- पूर्ण जाति- N/A पता - प्लॉट नंबर 131-132- 133 EPIP, riico, garment zone सीतापुरा इंडस्ट्रीयल एरिया सांगानेर जिला जयपुर काठोदर, जरिये डायरेक्टर पवन नहाटा पुत्र नगराज नहाटा निवासी 581, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान, 302019 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्यातन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र	प्रयोजन
तहसील चाकसू जिला जयपुर	ग्राम का नाम- चाकसू पूर्व पटवार हल्का- चाकसू पूर्व, भू.अभि.नि. क्षेत्र- चाकसू	12510/5367	1.6400 हैक्टेयर	रिसोर्ट
		12512/5373	0.0500 हैक्टेयर	
		5361	1.8000 हैक्टेयर	
		5363	1.8600 हैक्टेयर	
		कुल किता 4	कुल 5.3500हैक्टेयर	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिभूति अधिकारों के निर्यातन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा ।यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27-03-25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या जे 412 जेडीए की योजना अभिनव विहार विस्तार जयपुर का जेडीए से जारी मूल कब्जा पत्र कहीं खो गया है सूचित करें। रश्मि मिश्रा मो.9828011999

मेरे भूखण्ड संख्या 918 जेडीए की योजना आनंद विहार, जयपुर का जेडीए से जारी मूल कब्जा पत्र कहीं खो गया है सूचित करें। अतुल कुमार शर्मा मो.7891779351

प्लॉट नम्बर एच 355 योजना अभिनव विहार विस्तार का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें। हर्षवर्धन पुराहित मोबाइल नंबर-9413561929

नोटिस अन्तर्गत धारा ऑर्डर 1 रूल 8 सी.पी.सी. वास्ते हर खास आम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कब्रिस्तान पंच मुसलमान करौली, जिला करौली की ओर से एक प्रतिनिधित्व वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश करौली में उनवानी कब्रिस्तान पंच मुसलमान करौली बनाम लक्ष्मीनारायण वगै. बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं टी.आई. मु.नं. 19/2025 कब्रिस्तान भूमि बाबत् अ. गफ्फार, इशहाक अहमद एड. अब्दुल वाहिद एड. द्वारा संस्थित किया गया है। हर खास आम को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त प्रकरण में अपना हित अथवा उज्र रखता हो तो वह नियत तारीख पेशी दिनांक 2.4.2025 को समय 10 ए.एम. न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखे।

(मुहर) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

न्यायालय एस.डी.ओ. साहब, हिण्डौनसिटी

हरकेश आदि बनाम गिर्राज आदि

दावा/प्रार्थना पत्र टी.आई.

यहकि उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय एस.डी.ओ. साहब के यहां वादीगण/सायलान हरकेश पुत्र सुबहसिंह जाटव, निवासी सिंघानजट्ट पाली, तहसील सूरौठ व हरबीर पुत्र बदनसिंह जाटव, निवासी सिकरोरा, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर की ओर से आप लखन पुत्र कुन्दन, चन्द्रभान, पुत्र भौरया, छुट्टनलाल पुत्र हरकिशन, चन्दा पत्नी जीवन सिंह, सुगन पुत्र लौहरे, विशम्भर पुत्र कुन्दन, चिरंजी पुत्र दौजीराम, हरीसिंह पुत्र रामखिलाडी, विजयसिंह पुत्र रामखिलाडी, सोपाल पुत्र बादलिया, हरीलाल पुत्र बुद्धि, समस्त जाति जाटव, निवासी झारेडा, तहसील हिण्डौनसिटी, सियाराम, चन्द्रभान, पिसरान, श्योनारायण जाटव, निवासी हरीनगर मण्डावरा, तहसील हिण्डौन, सुशीला पत्नी रूपसिंह जाटव, निवासी हरीनगर, मण्डावरा, तहसील हिण्डौन, सुशीला पत्नी रूपसिंह जाटव, पीतमबाई पत्नी भरोसी जाटव, निवासी बेडा, तहसील हिण्डौन आदि के विरूद्ध दायर कर रखे हैं, जिसमें आगामी तारीख पेशी 4.4.2025 को दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का उत्तर देने/विवाधकों के विनिश्चय के लिए स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जो कि उक्त प्रकरण से सम्बंधित प्रश्नों का उत्तर दे सके और उस दिन अपनी प्रतिरक्षा या लिखित साक्ष्य दाखिल करे और ऐसे सभी दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करें। जिस पर आपकी प्रतिरक्षा आधारित है तो उसे न्यायालय में पेश करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो प्रकरण की सुनवाई व उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। आज दिनांक 27.3.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

आज्ञा से- उपजिला कलेक्टर, हिण्डौनसिटी

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-4/2024/डी-5311 दिनांक-25.03.2025

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रूकमणी चौधरी पत्नी श्री मुकेश चौधरी द्वारा मैट्रो एनक्लेव के आवासीय भूखण्ड संख्या 120 का नाम हस्तान्तरण करवाने हेतु आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में पूर्व मे इस कार्यालय द्वारा रामफूल रामगोपाल उर्फ गोपाल रामलाल, चौथू उर्फ रामकिशन पुत्रान रामधन, दिनेश अशोक पुत्रान कानाराम, श्रीमती लक्ष्मा उर्फ लक्ष्मी पत्नी श्री कानाराम, रामसहाय पुत्र श्री छाजूराम, श्रीमती उगन्ती देवी, राजवन्ती देवी के पक्ष मे मैट्रो एनक्लेव के आवासीय भूखण्ड संख्या 120, क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का फ्रीहोल्ड पट्टा क्रमांक 3124 दिनांक 06.07.2023 को क्रमांक जारी किया गया, जिसे उप पंजीयक जयपुर-प्रथम के यहां दिनांक 31.07.2023 को पंजीबद्ध करवाया गया। तत्पश्चात श्री रामफूल पुत्र रामधन, रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र रामधन, रामलाल पुत्र श्री रामधन चौथू उर्फ रामकिशन पुत्र श्री रामधन, श्री दिनेश पुत्र कानाराम, अशोक पुत्र श्री कानाराम, श्रीमती लक्ष्मा उर्फ लक्ष्मी पत्नी श्री कानाराम, श्री राम सहाय पु छाजूराम श्रीमती उगन्ती पुत्री श्री रामधन श्रीमती राजवन्ती देवी पुत्री श्री रामधन द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2023 के द्वारा उक्त भूखण्ड का वेचान मैसर्स सोउलमेट डिजाइन एण्ड डवलपमेन्ट एल.एल.पी. जरिये पार्टनर श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री आत्माराम शर्मा को कर दिया गया। मैसर्स सोउलमेन्ट डिजाइन एण्ड डवलपमेंट एल.एल.पी. जरिये पार्टनर श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री आत्माराम शर्मा द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.09.2023 के आधार पर उक्त भूखण्ड का वेचान श्रीमती रूकमणी चौधरी पत्नी श्री मुकेश चौधरी के पक्ष मे कर दिया गया।

उक्त संबंध मे आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही करने के संबंध मे किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवे। नियत अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदिका के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/हब-11/2025/डी-5392 दिनांक 25/3/2025

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कमलेश मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण मीणा, जाति मीणा सा. देह. कमली देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा सा. देह. केशर देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति मीणा सा.देह. राजेश मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा सा.देह. जरिये मुख्यारआम श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी 108, पंचोली विहार विस्तार, नारायण विहार के पास, ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा पहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1226/793 रकबा 0.1220 हैक्ट. ख.नं. 1227/793 रकबा 0.08 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 0.2020 हैक्ट, भूमि का आवासीय एकल पट्टे प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है। जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1226/793 रकबा 0.1220 हैक्ट ख.नं. 1227/793 रकबा 0.08 हैक्ट, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2020 हैक्ट, भूमि की 90क के अन्तर्गत प्रकरण संख्या निर्णय दिनांक 14.06.2023 को आवासीय प्रयोजनार्थ को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90-क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत होने एवं प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी (एल.पी.) की 387वी बैठक दिनांक 04.03.2025 निर्णय की पालना में एवं पी.पी.सी (एल.पी.) के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है। अतः जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1226/793 रकबा 0.1220 हैक्ट, ख.न. 1227/793 रकबा 0.08 हैक्ट, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2020 हैक्ट, उक्त भूमि का आवासीय एकल पट्टे प्रयोजनार्थ मानचित्र/लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25.03.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 26/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि डा. एस.एस. अग्रवाल प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास पूरनमल फूला देवी मेमोरियल ट्रस्ट 5449, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 42 जयपुर 2003 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास की बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्रन्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन/संशोधन कर संशोधनों को प्रन्यास रिर्का में दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज